रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938
No. 184] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

सा.का.नि. 328(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव (क्वॉलिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2006 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सुश्री किरण ओबराय वासुदेव — अध्यक्ष"
एफ/6, नारायणा, नई दिल्ली-110028

"(4) श्री विनीत के चौधरी — सदस्य"
कंपनी सचिव,
वी. के. चौधरी एंड कंपनी,
कंपनी सचिव
सी-140, सेक्टर-51,
नोएडा-201 301

"(5) श्री ईलम कम्बोज — सदस्य"
कंपनी सचिव,

हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड,
34, सामुदायिक केंद्र,
बसंत लोक, वसंत विहार,
नई दिल्ली-110 057

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में सा.का.नि. संख्या 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 68(अ), तारीख 06 फरवरी, 2012, सा.का.नि.564(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, सा.का.नि. 323(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 और सा.का.नि. 969(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2015 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2016

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with sub-rule (1) of rule 8 of Company Secretaries (Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, published in the Gazette of India, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (1), (4) and (5), and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"(1) Ms. Kiran Oberoi Vasudev
F/6 Naraina, New Delhi – 110 028 — Chairperson";

"(4) Shri Vineet K. Chaudhary
Company Secretary,
V. K. Chaudhary & Co.,
Company Secretaries,
C – 140, Sector – 51,
Noida – 201 301 — Member";

"(5) Shri Ilam Kamboj
Company Secretary,
Hero Moto Corp Limited,
34, Community Centre,
Basant Lok, Vasant Vihar,
New Delhi – 110 057 — Member".

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.3 (4)/Misc/2015-PI]

Manoj Kumar, Joint Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012, G.S.R. 564(E), dated the 21st August, 2013, G.S:R. 323 (E), dated the 27th April, 2015 and G.S.R. 969(E), dated the 15th December, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.